न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/141

1. नवल किशोर पुत्र श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण ।
2. श्रीमती कौशल्या बेवा हेमराज जाति ब्राह्मण निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ब्रह्मदत्त पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीशंकर ।
2. महेश दत्त पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीशंकर ।
3. रमेश दत्त पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीशंकर जाति ब्राह्मण निवासीगण कैथूनी पोल कोटा जिला कोटा ।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री हेमराज ।
5. शिवप्रकाश पुत्र स्व0 श्री हेमराज ।
6. बलराम पुत्र स्व0 श्री हेमराज ।
7. कैलाश पुत्र स्व0 श्री हेमराज ।
8. रूकमणी पुत्री स्व0 हेमराज
9. पदमावदी पुत्री स्व0 श्री हेमराज जाति ब्राह्मण निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय न्यायालय उप जिला कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की रिज्यूम माफी की पुराने खसरा नम्बर 03 की 19 बीघा 09 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 04 की 01 बिस्वा डोहली के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के पिता लक्ष्मीशंकर आत्मज पुरूषोत्तम के नाम दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि पर वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 के ससुर व प्रतिवादी कम 4 से 9 के दादा जगन्नाथ जी जैली काश्त के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे थे ।

उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 05 की 0.79 हैक्टर व खसरा नम्बर 06 की 2.36 हैक्टर कुल 02 किता की 3.15 हैक्टर भूमि कायम किये गये । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के पिता लक्ष्मीशंकर आत्मज पुरूषोत्तम की खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 के ससुर व प्रतिवादी कम 4 से 9 के दादा जगन्नाथ जी जैली काश्त के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु हो जाने पर वादी कम 1 नवल किशोर व वादी कम 2 के पति व प्रतिवादी कम 4 लगायत 09 के पिता हेमराज जी ब्राह्मण का नाम दर्ज किया है । नवलकिशोर व हेमराज उक्त भूमि पर जैली काश्तकार के रूप में काबिज हुए । उक्त भूमि पर लक्ष्मीशंकर का अथवा प्रतिवादी कम 1 से 3 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । राजस्व कर्मचारियों ने संवत् 2067 –70 की जमाबन्दी में वादिनी कम 2 के पति व प्रतिवादी कम 4 से 9 के पिता का नाम हेमराज के स्थान पर सहवन से हंसराज अंकित कर दिया है इस कारण हंसराज के स्थान पर हेमराज अंकित किया जाना आवश्यक है । वादीगण व उनके पूर्वज उक्त भूमि पर पिछले 100 वर्षों से लगातार काबिज काश्त हैं व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा होने के कारण वह उक्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 1 से 3 के पिता लक्ष्मीशंकर का नाम व जैली शब्द हटाये जाने एवं हंसराज के स्थान पर हेमराज का नाम दर्ज कर दुरूस्त करने का आदेश पारित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे काश्त करने से नहीं रोके तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भू–भाग को खुर्द–बुर्द व रहन, बेचान तथा अन्तरण नहीं करे । प्रतिवादी कम 10 को आदेश दिया जावे कि वे उक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद के वादीगण द्वारा दिनांक 12.06.2015 को प्रतिवादी कम 1 से 3 के पिता मृतक लक्ष्मीशंकर को पक्षकार बनाते हुए माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बाबत् खातेदारी घोषणा एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के पिता लक्ष्मीशंकर जी का नाम व जैली शब्द हटाये जाने व हंसराज के स्थान पर हेमराज का नाम दर्ज करने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया था । प्रथम वाद के विचाराधीन होते हुए पूर्व के वादीगण द्वारा पुनः एक द्वितीय वाद पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है जो कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर पूर्व वाद में चाही गई सहायता बाबत् दिनांक 28.10.2015 को प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वाद के वादीगण द्वारा पूर्व वाद नवल किशोर वगै0 बनाम लक्ष्मीशंकर को दिनांक 22.12.2015 को विड्रो के आधार पर खारिज करवा लिया । आदेश 02 नियम 02 सीपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि यदि वादी अपने दावे को त्याग देता है तो वह इस प्रकार लोप किये गये, या त्यक्त भाग के बारे में नया वाद नहीं ला सकता। अतः प्रार्थी प्रतिवादी कम 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.02.2016 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी कम 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व के बाद को विड्रो करने के आधार पर जैरकार इस वाद को निरस्त करने में त्रुटि की है जबकि पूर्व के वाद को विड्रो करने के बाद यह वाद पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद दिनांक 28.10.2015 को पेश किया था जबकि पूर्व का वाद दिनांक 22.12.2015 को विड्रो किया गया है । इस आधार पर आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं । वास्तव में पूर्व का वाद दिनांक 12.06.2015 को पेश किया था जो रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व 3 के पिता लक्ष्मीशंकर के विरूद्ध पेश किया गया था । लक्ष्मीशकर जी अकेले प्रतिवादी थे , लक्ष्मीशंकर जी की मृत्यु दिनांक 24.08.1979 को तथा उनकी पत्नी रामप्यारी की मृत्यु दिनांक 24.02.2005 को हो चुकी थी । जिससे पूर्व का वाद मृतक के विरूद्ध होने से **Nullity** यानि शून्य था जिससे नया वाद पेश करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावे उक्त दस्तावेज प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं । प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के न्यायालय में पेश किये गये दावे एवं जवाबदावे की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जो इसी वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित है और इन्हीं पक्षकारों के मध्य लम्बित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

9. हमने प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया । पेश किये गये दस्तावेजात न्यायालय में पेश किये गये दावे एवं जवाबदावे की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जो इसी आराजी से सम्बन्धित हैं और इन्हीं पक्षकारों के मध्य लम्बित है जो इस प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के वाद को विड्रो किये जाने के आधार पर इस दावे को निरस्त करने में त्रुटि की है । यह दावा पूर्व दावे को विड्रो करने के बाद पेश नहीं किया गया है वरन् पहले ही पेश किया गया था । जैरकार दावा दिनांक 28.10.2015 को ही पेश किया गया था जबकि पूर्व का दावा दिनांक 22.12.2015 को विड्रो किया गया है इस कारण इस पर आदेश 23 नियम 01 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । पूर्व का दावा

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 7 के पिता लक्ष्मीशंकर के विरूद्ध पेश किया था । लक्ष्मीशंकर की वर्ष 1979 में मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नी की भी मृत्यु वर्ष 2005 में हो चुकी है । पूर्व का दावा मृतक के खिलाफ पेश किया गया है । इस कारण यह प्रारम्भ से ही शून्य था पूर्व के दावे और नये दावे में न तो वादकारण समान है और न ही पक्षकार समान हैं । वादीगण का दावा प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज होने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर 2011 एससी पेज 09, 2017 (4) सीसीसी (कर्नाटका) पेज 299, 2017 (3) सीसीसी (सुप्रीम कोर्ट) पेज 509 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने पूर्व में दावा दिनांक 12.06.2015 को पेश किया था जिसे दिनांक 28.10.2015 को विड्रो किया गया । अपीलान्टगण को नया दावा पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी इस कारण उनका नया वाद चलने योग्य नहीं है । पूर्व के दावे में हेमराज की वारिस कौशल्या पक्षकार थी इस दावे में हेमराज के अन्य वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया है पूर्व के दावे के पैरा संख्या 09 में जो वादकारण बताया गया है वो ही वादकारण इस दावे के पैरा संख्या 09 में बताया गया है । वादीगण अन्य पक्षकारों को पुराने दावे में अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बना सकते थे नया दावा नही ला सकते थे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 सीपीसी पेश किया है जिसे धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया हुआ माना जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का दावा खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डीएनजे 2017 (एससी) पेज 947, डीएनजे 2017 (4) (राज0) पेज 1709 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 सीपीसी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि – पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक दावा लम्बित था जिसमें वादकारण एवं सहायता समान है । इस दावे को दिनांक 22.12.2015 को विड्रो के आधार पर खारिज किया गया है । नया दावा पुराने दावे के तथ्यों को छुपाते हुए पेश कर दिया था ऐसी स्थिति में नया दावा चलने योग्य नहीं है इसे खारिज किया जावे ।

13. पत्रावली में पूर्व पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें वादीगण के द्वारा लक्ष्मीशंकर एंव राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर हक, घोषणा का दावा पेश किया गया है । इस दावे को विड्रो करने के लिए दिनांक 22.12.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.12.2015 को ही उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावे को विड्रो के आधार पर खारिज किया है । अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित दावा पुराने दावे को विड्रो करने से पूर्व दिनांक 28.10.2015 को पेश कर दिया था । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 02 नियम 02 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पेश किया है । आदेश 02 नियम 02 सीपीसी का अवलोकन किया जो इस प्रकार से है कि कि यदि वादी अपने दावे को त्याग देता है तो वह इस प्रकार लोप किये गये, या त्यक्त भाग के बारे में नया वाद नहीं ला सकता। इस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के लिए नया वाद नहीं लाया जा सकता । इस प्रकार इस प्रकरण में सीपीसी के आदेश 02 नियम 02 लागू नहीं होते हैं । सीपीसी के आदेश 23 नियम 01 के अनुसार दावे को पेश होने के बाद विड्रो किया जा सकता है और यदि नया दावा पेश करने की अनुमति नहीं ली जाती है तो वादी उसी वादग्रस्त

आराजी के बाबत् समान वादकारण के नया वाद नहीं लाया जा सकता । परन्तु इस प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित दावा पूर्व में विड्रो किये गये दावे के पूर्व में ही पेश कर दिया गया था ऐसी स्थिति में दिनांक 22.12.2015 के आदेश के आधार पर वर्तमान दावे को रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व का दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया था जो Nullity है । वादीगण द्वारा पेश किया गया दावा मेन्टेनेबल है अथवा नहीं ? इसके बाबत् जवाबदावा आने के उपरान्त तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जा सकता है । एआईआर 2011 एससी पेज 09, 2017 (4) सीसीसी (कर्नाटका) पेज 299, 2017 (3) सीसीसी (सुप्रीम कोर्ट) पेज 509 यहॉ चस्पा होती हैं ।

14. रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि इस प्रकरण में पूर्व में जो दावा पेश किया गया था उसमें लक्ष्मीशंकर ही प्रतिवादी था और दावा दायरी के दिनांक से पूर्व वह मृतक था जबकि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2017 (एससी) पेज 947 में एक से अधिक प्रतिवादी थे जिनमें से कोई एक दावा दायरी के दिनांक को मृत था । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण द्वारा पेश किये दावे उसमें अपीलान्टगण के द्वारा पेश किये गये जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम की प्रति भी संलग्न है । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है जिसमें पक्षकारान एवं वादग्रस्त आराजी समान है। ऐसी स्थिति में इस दावे एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा पेश किये गये नये दावे दोनों को समेकित कर निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में हमे उचित प्रतीत होता है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेन्टगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें । साथ ही रेस्पोडेन्टगण द्वारा पेश किया गया दावा संख्या 14/16 ब्रह्मदत्त के साथ इस दावे को समेकित करते हुए दोनों प्रकरणों में एक साथ विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा